

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/771**21 जनवरी 2021****यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 को पूरक बनाते हुए, दस्तावेजी खातों की जांच के लिए विशिष्ट मानदंड और शर्तें निर्धारित की गईं।****जैविक उत्पादन में आधिकारिक नियंत्रण और ऑपरेटरों के समूहों के आधिकारिक नियंत्रण****(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)**

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि को ध्यान में रखते हुए,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 को ध्यान में रखते हुए और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 को निरस्त करते हुए (1), और विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 38(8)(ए)(i) और (ii),

जबकि:

- (1) जैविक उत्पादन की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन, तैयारी और वितरण के सभी चरणों में ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करने और विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुपालन के लिए किए गए आधिकारिक नियंत्रणों के निष्पादन हेतु विशिष्ट मानदंड और शर्तें निर्धारित करना आवश्यक है, विशेष रूप से उस विनियमन के अनुच्छेद 38(3) में संदर्भित जैविक ऑपरेटरों या ऑपरेटरों के समूहों के भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण के संबंध में। प्रभावी होने के लिए, उस भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण में कम से कम एक ट्रेसिबिलिटी जांच और दस्तावेजी खातों की जांच के माध्यम से द्रव्यमान संतुलन जांच शामिल होनी चाहिए। ट्रेसिबिलिटी जांच का उद्देश्य यह पुष्टि करना है कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह द्वारा प्राप्त या भेजे गए उत्पाद जैविक हैं या रूपांतरण में। द्रव्यमान संतुलन जांच का उद्देश्य ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह के इनपुट और आउटपुट के बीच संतुलन निर्धारित करना है।
- (2) आधिकारिक नियंत्रणों के पर्योजनार्थ, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 36(1) में निर्धारित संचालक समूह की अवधारणा में संचालकों की एक विशिष्ट श्रेणी शामिल है, जो कृषक या संचालक हैं जो शैवाल या जलीय कृषि पशुओं का उत्पादन करते हैं और इसके अतिरिक्त, खाद या चारे के प्रसंस्करण, तैयारी या बाजार में बिक्री में भी संलग्न हो सकते हैं। संचालकों के प्रत्येक समूह को आंतरिक नियंत्रण (आईसीएस) के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें नियंत्रण गतिविधियों का एक प्रलेखित समूह शामिल हो। सक्षम प्राधिकारी, या जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, को आईसीएस का आकलन करने और संचालक समूह के सदस्यों के जोखिम आधारित नमूने पर पुनः निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य होना चाहिए ताकि समूह के समग्र अनुपालन पर निष्कर्ष निकाला जा सके। इसलिए, समूह के साथ-साथ आईसीएस के भीतर संचालकों की उस विशिष्ट संरचना का आकलन करने के लिए, आईसीएस के आकलन और पुनः निरीक्षण के लिए सदस्यों के नमूने के चयन हेतु एक सामंजस्यपूर्ण ढाँचे के लिए, सक्षम प्राधिकारी या जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय की क्षमता के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करना आवश्यक है।
- (3) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के लागू होने की तिथि से लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया गया है:

अनुच्छेद 1

दस्तावेजी खातों की जाँच

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(3) के अनुसार भौतिक ऑन-द-स्पॉट निरीक्षण में दस्तावेजी खातों की जांच के माध्यम से ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह की ट्रेसिबिलिटी जांच और सामूहिक शेष राशि की जांच शामिल होगी।

(1) ओजे एल 150, 14.6.2018, पृ. 1.

2. सक्षम प्राधिकारी, या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(6) में संदर्भित लिखित रिकॉर्ड में प्रलेखित मानक टेम्पलेट के अनुसार ट्रेसिबिलिटी और द्रव्यमान संतुलन जांच करेगा।

3. ट्रेसिबिलिटी जांच और द्रव्यमान संतुलन जांच के प्रयोजन के लिए, उत्पादों, उत्पाद समूहों और सत्यापन के तहत अवधि का चयन जोखिम के आधार पर किया जाएगा।

4. ट्रेसिबिलिटी जांच में स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड सहित उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा उचित ठहराए गए कम से कम निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(क) आपूर्तिकर्ता का नाम और पता, तथा जहां भिन्न हो, वहां उत्पाद के स्वामी या विक्रेता या निर्यातक का नाम और पता;

(ख) प्रेषिती का नाम और पता, तथा जहां भिन्न हो, वहां उत्पाद के क्रेता या आयातक का नाम और पता;

(ग) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35(6) के अनुसार आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र;

(घ) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक III के बिंदु 2.1 के पहले पैराग्राफ में संदर्भित जानकारी;

(ई) उपयुक्त लॉट पहचान।

5. जहां प्रासंगिक हो, सामूहिक शेष जांच में स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड सहित उपयुक्त दस्तावेजों द्वारा उचित ठहराए गए कम से कम निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(क) इकाई को वितरित उत्पादों की प्रकृति और मात्राएं, तथा जहां प्रासंगिक हो, खरीदी गई सामग्री और ऐसी सामग्रियों का उपयोग, तथा जहां प्रासंगिक हो, उत्पादों की संरचना;

(ख) परिसर में भंडारण में रखे गए उत्पादों की प्रकृति और मात्रा;

(ग) प्रचालक की इकाई या प्रचालकों के समूह से प्रेषिती के परिसर या भंडारण सुविधाओं तक पहुंचे उत्पादों की प्रकृति और मात्रा;

(घ) उन प्रचालकों के मामले में जो उत्पाद को भौतिक रूप से संभाले बिना उत्पाद खरीदते और बेचते हैं, खरीदे और बेचे गए उत्पादों की प्रकृति और मात्राएं, तथा आपूर्तिकर्ता, और जहां भिन्न हो, विक्रेता या निर्यातक और क्रेता, और जहां भिन्न हो, वहां प्रेषिती;

(ई) पिछले वर्ष में प्राप्त, एकत्रित या काटे गए उत्पादों की उपज;

(च) चालू वर्ष में प्राप्त, संग्रहित या काटे गए उत्पादों की वास्तविक उपज;

(छ) चालू वर्ष और पिछले वर्ष में प्रबंधित पशुधन की संख्या और/या वजन;

(ज) उत्पादन, तैयारी और वितरण के किसी भी चरण में उत्पादों की मात्रा में कोई हानि, वृद्धि या कमी;

(i) जैविक या परिवर्तित उत्पाद जो बाजार में गैर-जैविक के रूप में बेचे जाते हैं।

अनुच्छेद 2

ऑपरेटरो के समूहों का आधिकारिक नियंत्रण

1. ऑपरेटरो के एक समूह के अनुपालन को प्रमाणित करने और सत्यापित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, आंतरिक नियंत्रण (आईसीएस) के लिए प्रणालियों का आकलन करने के लिए सक्षम निरीक्षकों को नियुक्त करेगा।

2. सेट-अप के मूल्यांकन के उद्देश्य से, ऑपरेटरो के एक समूह के आईसीएस के कामकाज और रखरखाव के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, कम से कम यह निर्धारित करेगा कि:

(क) आईसीएस की प्रलेखित प्रक्रियाएं जो लागू की गई हैं, विनियमन (ईयू) 2018/848 में स्थापित आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं;

(ख) प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक जानकारी के साथ ऑपरेटरो के समूह के सदस्यों की सूची को लगातार अद्यतन किया जाता है और प्रमाणपत्र के दायरे के साथ संरेखित किया जाता है;

(ग) ऑपरेटरो के समूह के सभी सदस्य ऑपरेटरो के समूह में अपनी भागीदारी के दौरान विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 36(1)(ए), (बी) और (ई) में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हैं;

- (घ) आईसीएस निरीक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण और योग्यता आनुपातिक और पर्याप्त है तथा आईसीएस निरीक्षक हितों के टकराव से मुक्त है;
- (ई) ऑपरेटरो के समूह के सभी सदस्यों और उनकी गतिविधियों और उत्पादन इकाइयों या परिसरों, जिनमें क्रय और संग्रहण केंद्र भी शामिल हैं, का आंतरिक निरीक्षण कम से कम वार्षिक रूप से किया गया हो और उसका दस्तावेजीकरण किया गया हो;
- (च) नए सदस्यों या नई उत्पादन इकाइयों और मौजूदा सदस्यों की नई गतिविधियों, जिनमें नए क्रय और संग्रहण केंद्र भी शामिल हैं, को केवल तभी स्वीकार किया गया है जब उन्हें आईसीएस प्रबंधक द्वारा आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आईसीएस प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया गया हो;
- (छ) आईसीएस प्रबंधक गैर-अनुपालन की स्थिति में आईसीएस प्रलेखित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई सहित उचित उपाय करता है;
- (ज) आईसीएस प्रबंधक की सक्षम प्राधिकारी या जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय को दी गई अधिसूचनाएं उपयुक्त और पर्याप्त हैं;
- (i) सभी उत्पादों और ऑपरेटरो के समूह के सदस्यों के लिए आंतरिक ट्रेसिबिलिटी को मात्रा का अनुमान लगाकर और ऑपरेटरो के समूह के प्रत्येक सदस्य की पैदावार की क्रॉस-चेकिंग करके सुनिश्चित किया जाता है;
- (जे) ऑपरेटरो के समूह के सदस्यों को आईसीएस प्रक्रियाओं और विनियमन (ईयू) 2018/848 की आवश्यकताओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

3. सक्षम प्राधिकारी, या जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 38(4)(डी) के अनुसार, पुनः निरीक्षण हेतु संचालक समूह के सदस्यों के नमूने का चयन करने हेतु जोखिम मूल्यांकन लागू करेगा। ऐसा करते समय, उसे कम से कम उत्पादन की मात्रा और मूल्य, तथा विनियमन (ईयू) 2018/848 के प्रावधानों के अनुपालन न होने की संभावना के आकलन को ध्यान में रखना होगा। पुनः निरीक्षण, चयनित सदस्यों की उपस्थिति में, मौके पर ही किया जाएगा।

4. सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, प्रचालकों के समूह के नियंत्रण के लिए उचित समय आवंटित करेगा, जो प्रचालकों के समूह के प्रकार, संरचना, आकार, उत्पादों, गतिविधियों और जैविक उत्पादन के आउटपुट के अनुपात में होगा।

5. सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, आईसीएस निरीक्षकों की योग्यता और ज्ञान को सत्यापित करने के लिए गवाह ऑडिट करेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, आईसीएस निरीक्षकों द्वारा पता न लगाए गए गैर-अनुपालनों की संख्या और गैर-अनुपालनों के कारण और प्रकृति की जांच के परिणाम के आधार पर यह आकलन करेगा कि क्या आईसीएस में कोई विफलता है।

अनुच्छेद 3

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन इसके प्रकाशन के अगले बीसवें दिन से लागू होगा। यूरोपीय संघ का आधिकारिक रोज़नामचा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

21 जनवरी 2021 को ब्रुसेल्स में सम्पन्न हुआ।

आयोग के लिए
अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयेन